भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2824
दिनांक 03.08.2022 को उत्तर देने के लिए

परित्यक्त खानों को पुनर्प्रयोजित करना

†2824. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री सी.आर.पाटिल:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री राजबहादुर सिंह:
श्री पी.पी. चौधरी:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की परित्यक्त खानों को स्थायी रूप से पुनर्प्रयोजित करने के लिए कोई नीति बनाने की योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और
(ग) परित्यक्त खानों को आर्थिक उपयोग हेतु पुनर्प्रयोजित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई किन्हीं श्रेष्ठ वैश्विक कार्यपद्धतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग) खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 में खानों के परित्याग की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के प्रावधान हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, खान समापन योजना के अनुसार सुरक्षात्मक, सुधार और पुनर्वास कार्य करने की आवश्यकता है।

एमसीडीआर 2017 के नियम 24 के अनुसार, अंतिम खान समापन योजना को पट्टेदार द्वारा खान के प्रस्तावित बंद होने से दो वर्ष पहले अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। अंतिम खान समापन योजना में खनिज के पूर्ण निष्कर्षण के बाद पट्टेदार द्वारा भूमि के प्रस्तावित उपयोग प्रकार की परिकल्पना की गई है जिसमें खनन प्रभावित क्षेत्र के उचित सुधार और पुनर्वासन के प्रस्ताव शामिल हैं। खान को बंद करने का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना है। खान मालिक की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि स्वीकृत खान बंद करने की योजना के अनुसार सुधार और पुनर्वास कार्यों सहित सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। खान बंद होने के बाद भूमि का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है।

*****